

राजस्थान सरकार
वन विभाग

क्रमांक प. 1(357) वन/97-पार्ट

जयपुर दिनांक

12 AUG 2015

प्रधान मुख्य वन संरक्षक (हॉफ),
राजस्थान, जयपुर।

विषय:-क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण हेतु वसूल की जाने वाली संशोधित दरों को स्वीकृत करने बाबत।

सन्दर्भ:- आपका पत्रांक एफ. 4707 दिनांक 23.07.2015


महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत सन्दर्भित पत्र के क्रम में निर्देशानुसार लेख है कि क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण, दण्डात्मक वृक्षारोपण, सेफ्टी जोन क्षेत्र के डेढ गुणा क्षेत्रफल के बराबर वन क्षेत्र में किये जाने वाले क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण एवं सेफ्टी जोन की फैसिंग एवं पुनरोत्पादक हेतु पूर्व में तय की गयी दरों में संशोधन कर निम्नानुसार दरे तय किये जाने की स्वीकृति प्रदान की जाती है:-

1	गैर वन भूमि पर क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण हेतु	145925 रुपये (एक लाख पैंतालीस हजार नौ सौ पच्चीस मात्र) हैक्टर
2	परिभ्राषित वन भूमि पर क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण हेतु	121779 रुपये (एक लाख इक्कीस हजार सात सौ उन्नयासी मात्र) प्रति हैक्टर
3	सेफ्टीजोन की बाड़बन्दी (1)बाहरी बाड़बन्दी (2)भीतरी बाड़बन्दी	24892 रुपये (चौबीस हजार आठ सौ बियानवें मात्र) प्रति हैक्टर 22800 रुपये (बाईस हजार आठ सौ मात्र) प्रति 100 रनिंग मीटर
4	सेफ्टीजोन क्षेत्र का पुनरोत्पादन	55767 रुपये (पचपन हजार सात सौ सडसठ मात्र) प्रति हैक्टर

उक्त वर्णित दरे दिनांक 01.01.2014 से प्रभावी होंगी।

भवदीय,


(योगेन्द्र कुमार देक)
शासन सचिव

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

- 1.प्रधान महालेखाकार, लेखा परीक्षक एवं नियंत्रण, राजस्थान, जयपुर।
- 2.प्रमुख शासन सचिव, जल संसाधन/सार्वजनिक निर्माण विभाग, राजस्थान, जयपुर।
- 3.शासन सचिव, खान/ऊर्जा विभाग, राजस्थान, जयपुर।
- 4.प्रधान मुख्य वन संरक्षक, कार्य आयोजना एवं वन बन्दोबस्त, अरावली भवन, जयपुर।
- 5.अतिरिक्त प्रधान मुख्य वन संरक्षक एवं मुख्य वन्यजीव प्रतिपालक, राजस्थान, जयपुर।


||
शासन सचिव

P. T. O.

कार्यालय प्रधान मुख्य वन संरक्षक राजस्थान, जयपुर

क्रमांक: एफ14()2013/एफसीए/प्रमुवसं/ 5252-400 दिनांक: 13. 8/15

1. समस्त मुख्य वन संरक्षक/उप वन संरक्षकगण।
2. मुख्य अभियंता, सार्वजनिक निर्माण विभाग, अजमेर रोड़, जयपुर।
3. महाप्रबंधक, NHAI, बी-1, नित्यानंद नगर, क्वींस रोड़, जयपुर।
4. मुख्य अभियंता, जल संसाधन विभाग, जयपुर।
5. मुख्य अभियंता, PHED, हसनपुरा रोड़, जयपुर।
6. मुख्य अभियंता, RRVPNL, हीरापुरा पॉवर हाऊस, अजमेर रोड़, जयपुर।
7. अतिरिक्त निदेशक (खान) सतर्कता, पर्यावरण एवं विकास, नोडल अधिकारी वन मामलात, खान एवं भू-विज्ञान विभाग, उदयपुर।
8. महाप्रबंधक, PGCIL, बी-4/184, चित्रकूट कॉलोनी, प्रताप स्टेडियम के पास, वैशालीनगर, जयपुर।
9. जनरल मैनेजर, नॉर्थ वेस्ट रेलवे, जवाहर सर्किल के पास, जयपुर।


अति० प्रधान मुख्य वन संरक्षक,
प्रोटेक्शन एवं नोडल अधिकारी एफसीए,
राजस्थान, जयपुर